न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. / 2017 निगरानी

III/निगरानी/श्योपुर/भू.रा/2017/6301

1. सोमवीर सिंह पुत्र कृष्ण कुमार
2. श्रीमती विमला पत्नी सोमवीर
3. देवेन्द्र सिंह
4. दीपेन्द्र सिंह पुत्रगण सोमवीर जाति जाट निवासीगण लहचौडा तहसील श्योपुर हाल निवासी 435 बी / 21 तिलक नगर रोहतक जिला रोहतक हरियाणा

..................प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन

...........असल अनावेदक

2. शम्बू पुत्र बद्ररी मीना निवासी ग्राम गोहडा तहसील व जिला श्योपुर
3. मदन लाल मीना पुत्र हरी शंकर निवासी ग्राम गोहडा तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

............तरतीवी अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज 26-12-017 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 04-01-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 26-12-17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

26-12-17
शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक : 6301—दो/2017 निगरानी जिला श्योपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ[illegible] आदि के हस्ताक्ष[illegible]
5-2-19	म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 (सॅशोधित संहिता 2018) के अनुसार प्रकरण की प्रचलनशलता पर आवेदक के अभिभाषक श्री बिनोद श्रीवास्तव एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर श्री अजय चतुर्वेदी को पूर्व पूशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 101/2010—11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20—9—17 के विरूद्व है। 2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25—9—18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई—योग्य नही रही है। अपर कलेक्टर व्दारा पारित आदेश के विरूद्व आयुक्त/अपर आयुक्त के समक्ष पीढ़ित पक्षकार को निगरानी प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। तद्नुसार आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25—9—18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य रहने से समाप्त की जाती है। सदस्य	